FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

दिनांक 12.11.2022 (शनिवार)

लोक अदालत बैंच न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी

मिसल नम्बरः–334 / 2022

किस्म प्रार्थना–पत्रः– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

मोहम्मद अब्दुल रसीद पुत्र बाबूलाल जाति मुसलमान(कलाल) निवासी सेफरागुवार तह. खेतड़ी हाल आबाद 20 / 73 त्रिलोकपुरी पूर्वी दिल्ली 110009

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.22	आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी के समक्ष पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1490 दिनांक 12.10.2022 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। –:आदेशः– अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम **सेफरागुवार** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 हाल खाता संख्या 278 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि सुवा पुत्र हुसेनखां के स्थान पर **बाबूलाल पुत्र हुसैन खां** दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी कैम्प कोर्ट खेतड़ी में दिनांक 12.11.2022 को मजमें आम में सुनाया गया। (विजेन्द्र कुमार सैनी) सदस्य अधिवक्ता — सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत (जय सिंह) आर.ए.एस सदस्य उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी — उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी ([illegible] शर्मा) अध्यक्ष अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी — अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 14:41:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner